

A5
T

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 42/2019

प्रार्थी

“आवास फाईनेन्सियर्स लिमिटेड” (जो पूर्व में “ए.यू. हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड” के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यावसायिक कार्यालय-201-202, द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्ववायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर 203020 में स्थित व कार्यरत है।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमति सुमन पत्नी रामचन्द्र बुड़िया, विधिक वारिसान स्व. श्री रामचन्द्र बुड़िया पुत्र श्री भोलाराम बुड़िया पता- सोनेली, तहसील जायल, डेह, जिला नागौर राजस्थान दुसरा पता- पट्टा नंबर 8, बुक नंबर 41, संकल्प नंबर 05, ग्राम सोनेली, पंचायत समिति सोनेली, तहसील जायल, जिला नागौर राजस्थान
- ए. डिम्पल चौधरी पुत्री रामचन्द्र चौधरी, विधिक वारिसान स्व. श्री रामचन्द्र बुड़िया पुत्र श्री भोलाराम बुड़िया पता-जाट कोलोनी, सोनेली, तहसील जायल, डेह, जिला नागौर राजस्थान
- बी. पिकी बुड़िया पुत्री रामचन्द्र बुड़िया विधिक वारिसान स्व. श्री रामचन्द्र बुड़िया पुत्र श्री भोलाराम बुड़िया पता- सोनेली, तहसील जायल, डेह, जिला नागौर राजस्थान
2. हरेन्द्र मिर्धा पुत्र गणेशराम, पता- अरसिंगा, जोशिणा, तहसील जायल, जिला नागौर, राजस्थान।

आदेश

दिनांक:- 01/07/2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को 10,80,000/- (अक्षरे दस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) रुपये ऋण सुविधा दिनांक 31.01.2018 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- पट्टा नंबर 8, बुक नंबर 41, संकल्प नंबर 05, ग्राम सोनेली, ग्राम पंचायत सोनेली, तहसील जायल, जिला नागौर राजस्थान बनाप 213.33 वर्गगज हैं। उक्त सम्पत्ति स्व. रामचन्द्र बुड़िया जरिये विधिक उत्तराधिकारीगण के धारित है। जिसकी चर्तु रीमा इस प्रकार है- उत्तर में आम गवाड़ी एवं घर का निकास, दक्षिण में ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम खाती का मकान, पूर्व में भंवरलाल पुत्र शैतानराम जाट का मकान एवं पश्चिम में किशनाराम पुत्र भागीरथराम जाट का मकान स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 31.03.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 11,40,675/- (अक्षरे इग्यारह लाख चालीस हजार छः सौ पचहत्तर रुपये मात्र) दिनांक 02.04.2019 तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 02.04.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 11,40,675/- (अक्षरे इग्यारह लाख चालीस हजार छः सौ पचहत्तर रुपये मात्र) दिनांक 02.04.2019 को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के रमक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं



वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण प्रार्थना पत्र संख्या- 42/2019
आवारा फाईनेन्सियर्स बनाप सुगन वगैरह
सिवयोस्टीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के
लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

AS
2

बैंक सिवयोस्टीज सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति- पट्टा नंबर 8, बुक नंबर 41, संकल्प नंबर 05, ग्राम सोनेली, ग्राम पंचायत सोनेली, तहसील जायल, जिला नागौर राजस्थान बनाप 213.33 वर्गगज हैं। उक्त सम्पत्ति स्व. रामचन्द्र बुड़िया जरिये विधिक उत्तराधिकारीगण के धारित है। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है- उत्तर में आम गवाड़ी एवं घर का निकास, दक्षिण में ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम खाती का मकान, पूर्व में भंवरलाल पुत्र शैतानराम जाट का मकान एवं पश्चिम में किशनाराम पुत्र भागीरथराम जाट का मकान स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।


अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 10,80,000/- (अक्षरे दस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) रुपये ऋण सुविधा दिनांक 31.01.2018 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आरथी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वागित्व में सम्पत्ति- पट्टा नंबर 8, बुक नंबर 41, संकल्प नंबर 05, ग्राम सोनेली, ग्राम पंचायत सोनेली, तहसील जायल, जिला नागौर राजस्थान बनाप 213.33 वर्गगज हैं। उक्त सम्पत्ति स्व. रामचन्द्र बुड़िया जरिये विधिक उत्तराधिकारीगण के धारित है। जिसकी चर्तु सीमा इस प्रकार है- उत्तर में आम गवाड़ी एवं घर का निकास, दक्षिण में ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम खाती का मकान, पूर्व में भंवरलाल पुत्र शैतानराम जाट का मकान एवं पश्चिम में किशनाराम पुत्र भागीरथराम जाट का मकान स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, जो प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संग्रह करने संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।



(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर
नागौर